पुसाराम वगैरह बनाम अनिताकंवर वगैरह
मुकदमा नम्बर 051/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण:—

1. पूसाराम पुत्र केशाराम
2. बजरंगलाल पुत्र केशाराम
   जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बीडेरी(इण्डाली) तहसील नावां।
3. लाडादेवी पत्नि कानाराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील नावां।
   3/1 कानाराम पुत्र बिरदाराम
   3/2 गिरधारीराम पुत्र कानाराम
   3/3 पूसाराम पुत्र कानाराम
   3/4 रतनाराम पुत्र कानाराम
   3/5 सोहनीदेवी पुत्री कानाराम

बनाम

अप्रार्थीगण:—

1. अनिताकंवर पुत्री रामसिंह
2. आनन्दसिंह पुत्र रूघनाथसिंह
3. ओमसिंह पुत्र रूघनाथसिंह
4. केलाशाकंवर पत्नि रामसिंह
5. डूंगरसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
6. नन्दसिंह पुत्र रामसिंह
7. नरेन्द्रसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
8. बजरंगसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
9. बिरजूसिंह पुत्र रूघनाथसिंह
10. मायाकंवर पत्नि रूघनाथसिंह
11. विक्रमसिंह पुत्र रूघनाथसिंह
12. विनोदसिंह पुत्र रामसिंह
13. हेमकंवर पुत्री रामसिंह
    जाति राजपूत निवासीयान ग्राम गणेशपुरा तहसील नावां।
14. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामन सिटी।
15. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां तहसील नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :— खेत में आने जाने का रास्ता [illegible]
अन्तर्गत धारा 251ए उपधारा 2 [illegible] एक्ट 1955

उपस्थित :— श्री सुरेन्द्र सेवग [illegible]
श्री आनन्दीलाल कुमावत अधिवक्ता [illegible] अप्रार्थी संख्या 4, 5, [illegible] 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुकदमा नम्बरः– 051/2023 निर्णय दिनांक : 27.12.2023

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम भांवत पटवार हल्का भांवता तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 389 रकबा 3.25 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है जिसका प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। राजस्व ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का इन्दोखा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 194 रकबा 4.08 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है जिसके अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 389 रकबा 3.25 हैक्टर भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 की भूमि ग्राम गणेशपुरा के खसरा नम्बर 194 रकबा 4.08 हैक्टर भूमि में से उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पूर्व से पश्चित 130 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई का कुल 520 वर्गमीटर अर्थात 0.052 हैक्टर भूमि का रास्ता चाहा है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत में पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का निकटम एवं सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीगण अपने खातेदारी के उपयोग व उपभोग करने में पूर्णयता वंचित हो जायेगे। इसलिए प्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित रास्ता दिलवाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार नावां से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रार्थी लाडोदेवी की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने संशोधित शीर्षक पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 7, 8 की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र सिंह व आनन्दीलाल कुमावत ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3/1 ता 3/5 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सेवर ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1, 6, 12, 13, 14, 15 के तामील शुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 9, 10, 11 के नोटिस अखबार दैनिक नवज्योति दिनांक 13 सितम्बर 2023 में प्रकाशित करवाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट पक्षकारागण की उपस्थिति में बनवाने पुनः मंगवाने पेश किया जिसका जवाब अधिवक्ता प्रार्थी ने पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान को सुना जाकर अप्रार्थीगण मौका रिपोर्ट की आपत्ति अपने मूल जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित करने तथा मौका की आपत्ति को मूल प्रार्थना पत्र की बहस में करने हेतु आदेशित किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 नन्दसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया जिसे उभयपक्षकारान की सहमति से स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

तहसीलदार नावां ने मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि भांवता के खसरा नम्बर 389 में आने जाने हेतु कटाणी रास्ता नहीं लगता है। खसरा नम्बर 389 की पूर्वी सीमा के आगे ग्राम गणेशपुरा की सीमा लगती है अर्थात् खसरा नम्बर 389 की पूर्वी तरफ ग्राम गणेशपुरा की सरहद आरम्भ होती है। ग्राम गणेशपुरा के खसरा नम्बर 194 के कटाणी रास्ता लगता है इसी कटाणी रास्ते से वादीगण ने अपने खेत खसरा नम्बर 389 में आने जाने हेतु रास्ते की मांग की है जिसे नजरी नक्शे में डोटेड लाईन से ए से बी दर्शाया गया है। वादीगण की भूमि के इससे नजदीकी कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। इसी वजत से खसरा नम्बर 389 की भूमि बिना जोती हुई पडी है। यह सबसे नजदीकी कटाणी रास्ता है। नजरी नक्शे में ए से बी दर्शाये प्रस्तावित रास्ते में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है, कोई स्ट्रेक्चर और पेड़ आदि स्थित नहीं है। वादगीण द्वारा मांग की गई रास्ते की लम्बाई 130 मीटर है तथा चौड़ाई 4 मीटर है। इस प्रकार ग्राम गणेशपुरा के खसरा नम्बर 194 में से प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 130×4=520 वर्गमीटर अर्थात 0.0520 हैक्टर बनता है।

अप्रार्थी संख्या 4, 5, 7, 8 की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्दीलाल कुमावत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने ग्राम भांवता पटवार हल्का भांवता के खसरा संख्या 389 में आने–जाने के लिए ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का इन्दोखा के खसरा संख्या 194 के उत्तरी सीव के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम 130 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई कुल 520 मीटर का रास्ता चाहा है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता काफी लम्बा है, जबकि ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का इन्दोखा के खसरा संख्या 415/4 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम 109 मीटर लम्बाई है, खसरा संख्या 194 के चाहे गये रास्ते की लम्बाई 130 मीटर एवं खसरा संख्या 415/4 के रास्ते की लम्बाई 109 मीटर है, इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की लम्बाई 21 मीटर अधिक है। दिनांक–08/05/2023 को तहसीलदार नावां से मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने की तहरीर न्यायालय हाजा ने जारी की हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार नावां द्वारा मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण को बिना किसी नोटिस दिये एवं बिना किसी प्रकार की सूचना दिये ग्राम गणेशपुरा में भू–अभिलेख निरीक्षक, इन्दोखा पटवारी हल्का भांवता व इन्दोखा ने खरारा संख्या 194 की मौका रिपोर्ट तैयार कर एकपक्षीय रिपोर्ट अपनी मनमर्जी से वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की गई, जबकि वास्तविक एवं सही मौका रिपोर्ट तैयार की जाती तो ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का इन्दोखा के खसरा संख्या 415/4 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम लम्बाई 109 मीटर है, जबकि खसरा संख्या 194 की उत्तरी माठ के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम लम्बाई 130 मीटर है, इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की लम्बाई 21 मीटर अधिक है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251ए की उपधारा 2 के अनुसार कटाणी रास्ते से भूमि नजदीक होना आवश्यक है। [illegible] द्वारा चाहा गया रास्ता काफी लम्बा है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय [illegible] अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए द्वेषतावश पेश किया है, जो काबिल खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से जवाब पेश नहीं कर [illegible] बहस की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 389 में आवागमन करने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 194 की भूमि में से रास्ते की आवश्यकता है। उक्त चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता दिलवाया जावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता काफी लम्बा है, जबकि ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का इन्दोखा के खसरा संख्या 415/4 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम 109 मीटर लम्बाई है, खसरा संख्या 194 के चाहे गये रास्ते की लम्बाई 130 मीटर है, इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की लम्बाई 21 मीटर अधिक है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता नहीं है तथा तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण को बिना सूचित किये बनाई गई। मौका रिपोर्ट सही नहीं बनाई गई इसलिए पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जावें जिससे मौके की वास्तविक स्थिति आ सके।

पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 389 रकबा 3.25 हैक्टर भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 की भूमि ग्राम गणेशपुरा के खसरा नम्बर 194 रकबा 4.08 हैक्टर भूमि में से उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पूर्व से पश्चित 130 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई का कुल 520 वर्गमीटर अर्थात 0.052 हैक्टर भूमि का रास्ता चाहा है। जिसके जवाब में अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को लम्बा बताते हुए प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु ग्राम गणेशपुरा के खसरा नम्बर 415/4 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम 109 मीटर लम्बाई का रास्ता बताया है तथा खसरा नम्बर 194 में चाहे गये रास्ते की लम्बाई 130 मीटर बताई गई साथ ही प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की लम्बाई 21 मीटर अधिक बताई है। तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत में आवागमन करने हेतु खसरा नम्बर 194 में से सबसे नजदीकी रास्ता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा बताये गये खसरा नम्बर 415/4 में से नजदीकी रास्ते के संबंध में पत्रावली में कोई भी दस्तावेज व साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा मौका रिपोर्ट में अंकन भी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही सबसे नजदीकी रास्ता है और प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:21 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 389 रकबा 3.25 हैक्टर भूमि में आने जाने हेतु ग्राम गणेशपुरा के खसरा नम्बर 194 रकबा 4.08

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

हैक्टर भूमि में से उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पूर्व से पश्चित 130 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई का कुल 520 वर्गमीटर अर्थात 0.052 हैक्टर भूमि का राजकीय कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार नावां को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त रास्ते के एवज में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 को उनके हक हिस्से की भूमि की नियमानुसार नवीनतम प्रचलित डीएलसी दर की दोगुनी राशि राजकोष में जमा करवाने पर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता अमलदरामद व नक्शे में तरमीम करें तथा उक्त राशि को अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 को उनके हक हिस्से अनुसार अदा करें। मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। संबंधित खातेदारों का संवंधित बैंक में रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:21 IST
Reason: SelfAttested